	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	चैत्र 08, गुरूवार, *शाके* 1946-मार्च 28, 2024 *Chaitra 08, Thursday , Saka 1946- March 28 , 2024*	

भाग 5 (घ)

भारत के निर्वाचन आयोग की विज्ञप्तियां आदि।

(निर्वाचन विभाग)

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 28, 2024

संख्या एफ 3(1)(13)प्रथम/निर्वा/2024/डी–146 :–भारत निर्वाचन आयोग की निम्न अधिसूचना सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाती है।

प्रवीण गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांकः 28 मार्च, 2024
8 चैत्र, 1946 (शक)

अधिसूचना

सं. 100/राज.-वि.स./1/2024:- यतः, राजस्थान राज्य की विधानसभा में **165-बागीदोरा (अ.ज.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचित श्री महेन्द्र जीत सिंह मालविया का स्थान उनके त्यागपत्र देने के कारण दिनांक **27 फरवरी, 2024** को रिक्त हो गया है, **और**

2. **यतः,** इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजनार्थ उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना हैः

3. **अतः, अब,** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उप-धारा (1) एवं (2), धारा 30 और धारा 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतदद्वाराः-

(अ) राजस्थान राज्य के उक्त 165-बागीदोरा (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह **अपेक्षा करता है** कि उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 6 जून, 2024 (गुरूवार) से पहले राज्य की विधान सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजनार्थ, राजस्थान राज्य की किसी भी अनुसूचित जनजाति के एक व्यक्ति को निर्वाचित कर दिया जाए; **और**

(ब) उक्त निर्वाचन के संबंध में, निम्नलिखित **निर्धारित करता हैः-**

(क) नाम-निर्देशन करने हेतु अंतिम तारीख, 04 अप्रैल, 2024 (गुरूवार);

(ख) नाम-निर्देशनों की संवीक्षा करने हेतु अंतिम तारीख, 05 अप्रैल, 2024 (शुक्रवार);

(ग) अभ्यर्थिताए वापस लेने हेतु अंतिम तारीख, 08 अप्रैल, 2024 (सोमवार);

(घ) जिस तारीख को, यदि आवश्यक हुआ, तो मतदान कराया जाएगा, 26 अप्रैल, 2024 (शुक्रवार);

(ङ) वह तारीख जिससे पहले निर्वाचन सम्पन्न हो जाएगा, 06 जून, 2024 (गुरूवार); **और**

(आ) **07:00 बजे पूर्वाहन से 06.00 बजे अपराहन** तक का समय, **ऐसे समय के रूप में नियत करता है** जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उपर्युक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान करवाया जाएगा।

आदेश से,

अश्वनी कुमार मोहल,

सचिव

भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001

Dated: 28th March, 2024
8 Chaitra, 1946, (Saka)

NOTIFICATION

No. 100/RJ-LA/1/2024:- **WHEREAS**, the seat of Sh. Mahendra Jeet Singh Malviya, in the Legislative Assembly of the State of Rajasthan, elected from **165-Bagidora (ST)** Assembly Constituency, has become vacant on **27th February, 2024** by reason of his resignation; **and**

2. **WHEREAS**, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. **NOW, THEREFORE,** in pursuance of sub-section (1) & (2) of section 150, and Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby: –

(A) **Calls upon** the said 165-Bagidora (ST) Assembly Constituency in the State of Rajasthan, to elect, before the 6th June, 2024 (Thursday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person belonging to any of the Scheduled Tribes of Rajasthan State for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State; **and**

(B) **appoints,** with respect to the said election, -

(a) the 4th April, 2024 (Thursday), as the last date for making nominations;
(b) the 5th April, 2024 (Friday), as the date for the scrutiny of nominations;
(c) the 8th April, 2024 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
(d) the 26th April, 2024 (Friday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
(e) the 6th June, 2024 (Thursday), as the date before which the election shall be completed; **and**

(C) **fixes the hours** from **7.00 AM to 6.00 PM,** as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

BY ORDER,

ASHWANI KUMAR MOHAL,
SECRETARY
ELECTION COMMISSION OF INDIA.